संख्या-२९०/ई-1/तेरह-2026-1978339

प्रेषक,

दयाराम,
उप सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक २० फरवरी, 2026

विषयः-आबकारी विभाग के कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना हेतु भूमि क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-635/टास्क फोर्स/कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेण्टर/भूमि क्रय/आबकारी विभाग/2025-26, दिनांक 03.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में आबकारी विभाग के कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना, सेक्टर-2बी में स्थित संस्थागत भूखण्ड संख्या-2बी/आई.एन.एस.-13(कार्नर) जिसका क्षेत्रफल 6990.47 वर्ग मीटर को क्रय करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-001-आबकारी विभाग के लेखा शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01, कार्यालय भवन-5 1 निर्माण "04-कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर, लखनऊ की स्थापना 60-भूमि क्रय" मद में प्राविधानित कुल बजट धनराशि रू.5,625.00 लाख (छप्पन करोड़ पच्चीस लाख) में से रू.56,24,58,367.00 (छप्पन करोड़ चौबीस लाख अट्ठावन हजार तीन सौ सरसठ) एकमुश्त व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी पर व्यय किया जाएगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न होने को सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण आवश्यकता अनुसार ही किया जाएगा तथा अनावश्यक रूप से बैंक/डाकघर में नहीं रखा जाएगा।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 के दिशा-निर्देशों तथा भूमि क्रम के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/सुसंगत नियमों/अधिनियमों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) इस सम्बन्ध में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2. उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या-18/2016/634/ 94-स्टा.अ.नि.-2-2016-700(634)/2016, दिनांक 30 जून 2016 के अनुसार भूखण्ड क्रय में प्रभारित हो रही स्टैम्प ड्यूटी में उक्त शासनादेश दिनांक 30 जून, 2016 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के उपरान्त प्रश्नगत स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्राप्त होने के उपरान्त उक्त धनराशि शासन को वापस/समर्पित की जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का प्रयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-E-9-260-X-2025-26-, दिनांक 19.02.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by DAYARAM
Date: 20-02-2026 18:00:53

(दयाराम)
उप सचिव।

संख्या: 290 (1) ई-1/तेरह-2026, तद्दीनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
4. वित्त नियंत्रक, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9,
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(दयाराम)
उप सचिव।